## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राष्ट्रीय लोक अदालत 2017, कैम्प न्यायालय हाजा सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी- श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 03/2017

दायरा तिथि 19.01.2017

निर्णय तिथि 11.02.2017

वादीगण:- बनाम प्रतिवादीगण:-

वादीगण:-

1. कानसिंह पुत्र हरिसिंहजी
2. जालमसिंह पुत्र हरिसिंहजी
3. मूलसिंह पुत्र हरिसिंहजी
4. शैलेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंहजी
   जातिगण राजपूत निवासीगण मोरडू, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
5. श्रीमती अनेककंवर पुत्री हरिसिंहजी धर्मपत्नी स्वरूपसिंहजी जाति राजपूत निवासी मोरडू हाल निवासी जयपुरा तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही (राज.)
6. श्रीमती रसालकंवर पुत्री हरिसिंहजी धर्मपत्नी गोवर्धनसिंहजी जाति राजपूत निवासी मोरडू हाल निवासी धींगाणा तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
7. श्रीमती राजेन्द्रकंवर पुत्री हरिसिंहजी धर्मपत्नी लक्ष्मणसिंहजी जाति राजपूत निवासी मोरडू हाल निवासी बाकरा तहसील जालोर, जिला जालोर (राज.)

प्रतिवादीगण:-

1. हरिसिंह पुत्र डुंगरसिंहजी जाति राजपूत निवासी मोरडू, तहसील सुमेरपुर जिला पाली
2. तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

**<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTAct,1955</u>**

उपस्थित:-

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राठौड़, भरतकुमावत, अभयसिंह देवडा
2. प्रतिवादी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री खेतसिंह जैतावत, शिवराजसिंह राणावत।
3. प्रतिवादी सं. 02 की ओर से सरकार पैरोकार नायब, तहसीलदार सुमेरपुर

## —: निर्णय :—

दिनांक 11,02.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है-

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली बरोज आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्तागण व सरकार प्रतिनिधि नायब तहसीलदार उपस्थित तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें वर्णित इबारत को बाद सत्यापन तस्दीक करके रेकर्ड पर लिया गया। पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं की दलील व बहस को सुना गया, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले की वाद-विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत प्रतिवादी सं. 01 हरिसिंहजी के विरूद्ध सरहद मौजा मोरडू पटवार सर्कल पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 121, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148 कुल रकबा 76.68 हैक्टर में प्रतिवादी सं.1 हरिसिंहजी के पुश्तैनी खातेदारी 6/24 हिस्से में से वादीगण को 7/8 हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं वादीगण के उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

लगातार-2......

Scanned by CamScanner

हक–हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु आज्ञप्ति व डिक्री चाही गई है। वादीगण ने वादपत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज क्रमश: जमाबंदी संवत 2070–73, जमाबंदी संवत् 2046–49, भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2028–31, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2014–28 भूमि एकीकरण, खतौनी बंदोबस्त संवत 2009–28 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किए गये। प्रतिवादी सं.01 द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तमाम तथ्यों को स्वीकारते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज उसके पुश्तैनी 5/24 हिस्से में से वादीगण को 7/8 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने की पूर्ण सहमति अभिव्यक्त की है। प्रतिवादी सं. 02 ने अपने जवाब में राजस्व रेकर्ड की स्थिति अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज प्रतिवादी सं. 01 का 5/24 हिस्सा व वादपत्र में वर्णित प्रार्थना को राजस्व रेकर्ड अनुसार सही होना अभिव्यक्त है। चूंकि इकबालिया जवाब पेश होने के उपरान्त भी विधिक प्रक्रिया के तहत तनकियात बिन्दु सं. 01 लगायत 02 कायम किए जाकर रेकर्ड पर लिए गये। वादीपक्ष–साक्ष्य में वादी स्वयं मूलसिंह, कानसिंह, शैलेन्द्रसिंह, जालमसिंह पिसरान हरिसिंहजी द्वारा अपने–2 तस्दीक सुदा शपथपत्र पेश किए जिन्हे बतौर बयान क्रमशः PW-1, PW-2, PW-3, PW-4 रेकर्ड पर लिए गये एवं प्रतिवादीपक्ष–साक्ष्य में प्रतिवादी स्वयं हरिसिंह ने अपना तस्दीक सुदा शपथपत्र पेश किया जिसे बतौर शहादत प्रतिवादी क्रमशः DW-1 के बयान को रेकर्ड पर लिया गया। उपरोक्त सभी वादीपक्ष ने अपने बयानों में वादपत्र के सभी तथ्यों को स्वीकार किया है तथा वादी मूलसिंह ने अपने बयान PW-1 में साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2070–73 को प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2046–49 को प्रदर्श–2, भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल को प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत् 2028–31 को प्रदर्श–4, खतौनी बंदोबस्त भूमि एकीकरण संवत् 2014–28 को प्रदर्श–5, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2009–28 को प्रदर्श–6 के तौर पर प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार प्रतिवादीपक्ष–साक्ष्य में प्रतिवादी स्वयं हरिसिंह ने अपने बयान क्रमश: DW-1 में वादपत्र के सभी तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है। वक्त बहस बरोज आज राजीनामा के साथ–2 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खिवान्दी से वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् जारी रहनमुक्ति के प्रमाण पत्र क्रमांक–568 दिनांक 01.02.2017 की छाया पेश की है जिसे रेकर्ड पर लिया गया।

(3) कि हमने, उभयपक्षीय द्वारा की गई बहस दलीलों पर मनन व विचारण किया, साथ ही पक्षकारों द्वारा लोक अदालत की भावना प्रस्तुत किए गये राजीनामा में वर्णित इबारत एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात् हमने पाया है कि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2009–28 के खाता सं. 01 प्रदर्श–6 के अनुसार कुल भूमि रकबा 515)9 बीघा प्रतिवादी सं. 01 हरिसिंह के पिता डूंगरसिंह वल्द कुशालसिंह कौम राजपूत सा.देह के नाम दर्ज रही, इसी प्रकार खतौनी बंदोबस्त भूमि एकीकरण संवत् 2014–28 के खाता सं.14 प्रदर्श–5 के अनुसार कुल भूमि रकबा 506)11 बीघा में अन्य खातेदारों के अलावा प्रतिवादी सं.01 के पिता डूंगरसिंह वल्द खुशालसिंह का 1/6 हिस्सा कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रहा, इसी के अनुरूप ही जमाबंदी संवत् 2028–31 के खाता सं.10 प्रदर्श–4 में भी उपरोक्तानुसार खाता बदस्तूर रहा, इसी प्रकार से मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 व जमाबंदी संवत् 2046–49 में दर्ज खाता सं. 9 प्रदर्श–2 के अनुसार भी हाल खसरा नं. 137, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 121, 139, 140, 146, कुल रकबा 76.60 हेक्टर भूमि में अन्य खातेदारों के अलावा प्रतिवादी सं.

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

लगातार–3....

Scanned by CamScanner

01 के पिता डूंगरसिंह वल्द खुशालसिंह कौम राजपूत का 1/6 हिस्सा सा.देह खातेदार दर्ज रहा है। इसी प्रकार से हाल जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं.38 प्रदर्श–1 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 121, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148 कुल रकबा 76.68 हेक्टर में प्रतिवादी सं. 01 हरिसिंह पुत्र डुंगरसिंहजी का कुल 5/24 हिस्सा खातेदारी का दर्ज सुदा है और उल्लेखित तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों व साक्ष्य–अभिकथनों के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में 5/24 हिस्सा वादीगण व उनके पिता प्रतिवादी सं. 01 हरिसिंह पुत्र डुंगरसिंहजी का प्रथमतः पैतृक व पुश्तैनी सम्पति होना स्पष्टतया जाहिर होता है, परन्तु गत् व हाल राजस्व रेकर्ड में उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक–हिस्से में एकमात्र प्रतिवादी सं. 01 हरिसिंह पुत्र डुंगरसिंहजी का ही नाम बतौर खातेदार दर्ज है, जबकि प्रश्नगत् पैतृक व पुश्तैनी सम्पत्ति के हक–हिस्से में वादीगण को भी अपने विधिक हक–हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का कानूनी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है ओर इसके अलावा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कानूनी तथ्यों व वादपत्र में वर्णित तमाम अभिव्यक्त कथनों एवं तथ्यों को बखुबी स्वीकार किया है।

इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों व प्रश्नगत् मामले में पक्षकारों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना के अनुरूप प्रस्तुत किए गये तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत पर विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय अनुसार पत्रावली पर कायम किए गये तनकी बिन्दुओं पर विवेचनाऐं व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है और वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं.1 हरिसिंह के पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी भूमि 5/24 हिस्से में से वादीगण को 7/8 हिस्से का खातेदार घोषित करना एवं वादीगण की उपरोक्त हक–हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति जारी करना उचित समझते है।

अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना के अनुरूप उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा मोरडू पटवार सर्कल पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 121, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148 कुल रकबा 76.68 हेक्टर में प्रतिवादी सं. 1 हरिसिंह के पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी 5/24 हिस्से मे से वादीगण को 7/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, साथ ही वादीगण की उपरोक्त हक–हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरांज आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा में सुमेरपुर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर(पाली)